डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-731 **New Delhi: 21.01.2021**

श्री संजय सिंह वर्मा, अधिवक्ता
ब्लाक ई, सीट न0-48 ए
जनपद न्यायालय दबरई, फिरोजाबाद
उत्तर प्रदेश
मोबाइल-9412426257

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आपके मूल आवेदन के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करना।

संदर्भ: 1. आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 16.09.2020, जो सहायक जनसूचना अधिकारी, टूंडला के कार्यालय में दिनांक 23.09.2020 तथा इस कार्यालय में दिनांक 06.10.2020 को प्राप्त हुआ।

2. आरटीआई आवेदन शुल्क हेतु इस कार्यालय द्वारा भेजा गया समसंख्यक पत्र दिंनाक 08.10.2020।

3. आपका पत्र दिनांक 04.01.2021, जो इस कार्यालय में दिनांक 20.01.2021 को प्राप्त हुआ।

आपने उपरोक्त आवेदन (संदर्भ-1) के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा था। चूँकि, आपने अपेक्षित आरटीआई आवेदन शुल्क अपने पत्र (संदर्भ-3) के साथ सहायक जनसूचना अधिकारी, DFCCIL, टूंडला के कार्यालय में जमा कर दिया है, अतः संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर. पी. छिब्बर
महा प्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्नक: 02 पृष्ठ ।

21.01.2021

(एस. के. राय)
उप महाप्रबंधक /प्रशा. (ज.सू.अ.)
E-mail: skroy@dfcc.co.in
011-23454707

TDL/EN/RTI/FRZ/212(A) Dated: 12.01.2021

सेवा में,
उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/मानव संसाधन
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
टूण्डला/आगरा।

विषयः—जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 06 के तहत के अर्न्तगत मॉगी गई जानकारी के सम्बंध में।
सन्दर्भः—प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में आपको अवगत कराया जाना है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नलिखित है—

1. डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना द्वारा भूमि के प्रतिकर के अलावा मैलिक पात्रता के आधार पर पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति 2011 के अर्न्तगत लाभ देय है।
2. डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना द्वारा भूमि अर्जन से प्रभावित सभी भू—स्वामी जो कि सीमान्त श्रेणी के अर्न्तगत आते है, (0.5000 हे0 भूमि से कम भूमि वाले भू—स्वामी ही सीमान्त श्रेणी मे है।) को 750 दिन की मजदूरी के बराबर सहायता राशि का भुगतान कराये जाने का प्रावधान है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 8.1—(घ) के अर्न्तगत जानकारी दे पाना सम्भंव नही है।
3. डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना द्वारा भूमि अर्जन से प्रभावित सभी भू—स्वामी को खण्ड विकाश अधिकारी द्वारा दिये गये सत्यापन के आधार पर 300 दिन की मजदूरी के बराबर सहायता राशि का भुगतान कराये जाने का प्रावधान है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 8.1—(घ) के अर्न्तगत जानकारी दे पाना सम्भंव नही है।
4. उपरोक्त के सम्बंध यह भी अवगत कराया जाना है कि अपरमहाप्रबंधक/एच0आर0 के पत्र क्रमांक एच0क्यू0/एच0आर0/31 भूमि प्रभावितो दिनांक 24.04.2014 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना से प्रभावित भू—स्वामियों के सेवायोजन का कोई भी प्रावधान नही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत चाही गई जानकारी निम्नलिखित है।
धन्यवाद।

(एम0के0जैन)
उप परियोजना प्रबंधक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
टूण्डला/आगरा।

Arvind Verma Month Jan 2021

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. HQ/HR/31/Land Losers Dated: 24.04.2014

To,

All Chief Project Managers,
DFCCIL.

Sub: Provision of Employment to land losers affected by land acquisition for DFCCIL project.

References are frequently received from PAPs for providing appointment to one of the family members in terms of Railway Board letter no. E (NG)II/2010/RC-5/1 dated 16.07.2010

2. In this connectin Railway Board vide letter no. 2014/Infra/17/5 daed 05.03.2014 has already clarified to North Western Railway that policy of providing appointment to land losers circulated vide Railway Board letter no. E (NG)II/2010/RC-5/1 dated 16.07.2010 is applicable to Railway and Production Units and not to Railway Public Sector Undertakings and hence not applicable to DFCCIL (copy enclosed).

3. References from PAPs on the aforesaid issue may therefore be dealt accordingly without referring the matter to Corporate Office. To maintain uniformity among different project units, if required, the reply may be given on the following lines:-

"Railway Board policy circulated vide letter no. E (NG)II/2010/RC-5/1 dated 16.07.2010 regarding appointment of land losers affected by land acquisition for railway projects is applicable only to Railway/Production Units and not to Railways Public Sector Undertakings (PSUs) and other Units. As such, this policy is not applicable to Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) as it is Public Sector Undertaking (PSU)".

24.4.14

(Hari Krishan)
Addl. General Manager/HR

All. Dy CPMS
Policy file LA.

GMR
5/5/14